International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना- संवैधानिक न्याय, अंतर्वर्गीय असमानता और नीतिगत विकल्प (मध्यप्रदेश के संदर्भ में)

डॉ. भावना त्रिवेदी (नायक)
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
प्रशांत भोजक
शोधकर्ता, समाज विज्ञान अध्ययनशाला, तक्षशिला परिसर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर (म.प्र.)

सारांश
भारतीय आरक्षण व्यवस्था का आधार ऐतिहासिक वंचना, जाति–आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्करण और संस्थागत प्रतिनिधित्व की कमी को कम करके सारभूत समानता स्थापित करना है। क्रीमी लेयर की अवधारणा मूलतः अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संदर्भ में विकसित हुई, ताकि अपेक्षाकृत उन्नत वर्गों द्वारा आरक्षण लाभों के लगातार संकेंद्रण को रोका जा सके। अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) पर इस अवधारणा का विस्तार एक अलग संवैधानिक और नीतिगत प्रश्न है, क्योंकि इन समूहों का ऐतिहासिक अनुभव, सामाजिक बहिष्करण और वंचना का स्वरूप अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से एकसमान नहीं है। प्रस्तुत शोधपत्र में प्रकाशित लेखों की समीक्षा, संवैधानिक प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों और मध्यप्रदेश के जनगणना तथा निर्वाचन संबंधी आधिकारिक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन में मध्यप्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की आबादी 1,13,42,320 (15.62 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजातियों की आबादी 1,53,16,784 दर्ज की गई; राज्य विधानसभा की 230 सीटों में 35 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। ये आँकड़े राज्य की सामाजिक–जनसांख्यिकीय महत्ता दर्शाते हैं, पर अपने–आप आरक्षण लाभों के आंतरिक वितरण को सिद्ध नहीं करते। अगस्त 2024 के **पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह निर्णय** ने अनुसूचित जातियों में आँकड़ा–आधारित उप–वर्गीकरण की संवैधानिक अनुमति दी, जबकि क्रीमी लेयर के अखिल भारतीय क्रियान्वयन को लेकर न्यायिक मत और केंद्र सरकार की स्थिति में विवाद बना हुआ है। अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य की नीति को आय–आधारित एकल कसौटी से आगे जाकर शिक्षा, पेशा, संस्थागत प्रतिनिधित्व, सामाजिक भेदभाव और समुदाय–विशिष्ट वंचना को शामिल करना चाहिए।

शब्द कुंजी: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण, क्रीमी लेयर, उप–वर्गीकरण, सारभूत समानता, मध्यप्रदेश, सामाजिक न्याय।

1. परिचय

भारतीय समाज में जाति, जनजातीय पहचान, परंपरागत व्यवसाय, भूमि और संसाधनों तक पहुँच, शिक्षा तथा सत्ता–संस्थानों में प्रतिनिधित्व का वितरण लंबे समय से असमान रहा है। संविधान निर्माताओं ने समझा कि समान अधिकारों की औपचारिक घोषणा उन समुदायों के लिए पर्याप्त

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

नहीं जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार, शैक्षिक वंचना, आर्थिक शोषण और राजनीतिक हाशियाकरण जुड़ा रहा है। इसी कारण संविधान में समानता की सामान्य गारंटी के साथ विशेष प्रावधान, प्रतिनिधित्व और राज्य की सकारात्मक जिम्मेदारी को स्थान दिया गया है (भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 14–16, 46)।

आरक्षण का उद्देश्य केवल गरीबी का समाधान करना नहीं है। यह उन संरचनात्मक बाधाओं को कम करने का साधन है जो किसी व्यक्ति अथवा समूह को शिक्षा, सार्वजनिक रोजगार, निर्णय–प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन में बराबर भागीदारी से रोकती हैं। इसलिए आरक्षण को सामाजिक सम्मान, प्रतिनिधित्व, अवसर की उपलब्धता और नागरिक समानता के व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। इसके साथ यह सवाल भी बना रहता है कि जब किसी आरक्षित समुदाय के कुछ परिवार शिक्षा, आय या सरकारी सेवा में अपेक्षाकृत आगे बढ़ चुके हों, तो क्या लाभों का वितरण समुदाय के भीतर नए सिरे से व्यवस्थित किया जाए।

इसी चर्चा में "क्रीमी लेयर" शब्द प्रयोग में आता है। सामान्यतः यह आरक्षित वर्ग के उन अपेक्षाकृत सामाजिक या आर्थिक रूप से उन्नत हिस्सों को दर्शाता है जिन्हें विशेष आरक्षण लाभों से बाहर रखने की अवधारणा अपनाई गई है। OBC के लिए इस सिद्धांत का एक स्थापित न्यायिक इतिहास है। SC/ST के मामले में प्रश्न अधिक जटिल है, क्योंकि आर्थिक प्रगति के बावजूद जातिगत भेदभाव, सामाजिक दूरी, जनजातीय सांस्कृतिक अवरोध, विस्थापन या संस्थागत प्रतिनिधित्व की कमी समाप्त होना आवश्यक नहीं। इसलिए इस शोधपत्र का मूल प्रश्न है: मध्यप्रदेश के संदर्भ में समुदाय के भीतर असमानता को पहचानते हुए किस तरह की नीति सबसे वंचित समूहों तक अवसर पहुँचा सकती है, और ऐसा करते समय संवैधानिक संरक्षण को कमजोर होने से कैसे बचाया जा सकता है?

2. शोधपत्र के उद्देश्य

इस शोधपत्र का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा का संवैधानिक, सामाजिक और नीतिगत विश्लेषण करना तथा मध्यप्रदेश की परिस्थितियों में उसकी प्रासंगिकता का आकलन करना है।

3. शोधविधि

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक, विधिशास्त्रीय, तुलनात्मक और द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित विश्लेषणात्मक शोध है। प्राथमिक स्रोतों में भारत का संविधान, इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992), एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006), जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता (2018) और पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) जैसे न्यायिक निर्णय शामिल किए गए हैं। द्वितीयक स्रोतों में शोधपत्र, कानूनी विश्लेषण और प्रकाशित अकादमिक सामग्री का अध्ययन किया गया है। मध्यप्रदेश के संदर्भ में 2011 की जनगणना पर आधारित एससी/एसटी जनसंख्या के आधिकारिक आँकड़े, भारत सरकार की सूचना तथा निर्वाचन आयोग के राज्य विधानसभा संबंधी आँकड़े लिए गए हैं। प्रतिशतों की गणना कुल राज्य जनसंख्या या कुल विधानसभा सीटों के आधार पर की गई है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

4. शोध क्षेत्र : मध्यप्रदेश

शोध क्षेत्र मध्यप्रदेश प्रस्तुत अध्ययन के लिए उपयुक्त है क्योंकि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की उल्लेखनीय जनसंख्या है तथा राज्य के अनेक क्षेत्रों में ग्रामीणता, आदिवासी बहुलता, शिक्षा तक पहुँच, भौगोलिक दूरी, आजीविका और प्रशासनिक सेवाओं की उपलब्धता जैसे पहलू सामाजिक अवसरों को प्रभावित करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 थी; इसमें अनुसूचित जाति के 1,13,42,320 और अनुसूचित जनजाति के 1,53,16,784 व्यक्ति थे। अनुसूचित जनजातियों की संख्या राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी अंचलों सहित अनेक जिलों में नीति–निर्माण को विशेष संदर्भ प्रदान करती है।

5.1 अनुसूचित जाति की परिभाषा

संविधान के अनुच्छेद 366(24) में "अनुसूचित जातियों" का अर्थ उन जातियों, जनजातियों अथवा उनके भागों/समूहों से है जिन्हें अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में संबंधित जातियों अथवा समूहों को अधिसूचित करते हैं; अधिसूचना में बाद में समावेशन या बहिष्करण संसद द्वारा कानून के माध्यम से किया जाता है। यह संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव साधारण प्रशासनिक आदेश से न हो। सामाजिक दृष्टि से इस श्रेणी का ऐतिहासिक संदर्भ अस्पृश्यता, जाति–आधारित बहिष्करण और अवसरों से व्यवस्थित वंचना से जुड़ा रहा है।

5.2 अनुसूचित जनजाति की परिभाषा

संविधान के अनुच्छेद 366(25) में "अनुसूचित जनजातियों" का अर्थ उन जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों या उनके भागों/समूहों से है जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए अधिसूचना जारी करने की व्यवस्था देता है और सूची में परिवर्तन संसद के कानून से किया जाता है। जनजातीय वंचना का अनुभव एक ही रूप का नहीं है; इसमें भौगोलिक अलगाव, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक दूरी, भाषा–सांस्कृतिक विशिष्टता, भूमि और वन संसाधनों तक पहुँच, विस्थापन, पारंपरिक आजीविका तथा प्रशासनिक भागीदारी जैसे तत्व महत्त्वपूर्ण होते हैं। इसी कारण एससी और एसटी दोनों संवैधानिक श्रेणियाँ होने के बावजूद उनकी सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण अलग–अलग करना आवश्यक है।

5.3 आरक्षण की परिभाषा

आरक्षण संविधान द्वारा मान्य सकारात्मक कार्रवाई का ऐसा साधन है जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के लिए शिक्षा, सार्वजनिक रोजगार या राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विशेष अवसर अथवा सीटें निर्धारित की जाती हैं। इसका उद्देश्य सामान्य समानता को निष्प्रभावी करना नहीं, बल्कि उन वास्तविक बाधाओं की भरपाई करना है जिनके कारण सभी व्यक्ति समान प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं पहुँच पाते। शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में विशेष प्रावधानों के लिए अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) महत्त्वपूर्ण हैं; एससी/एसटी के पदोन्नति

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

संबंधी आरक्षण के संदर्भ में अनुच्छेद 16(4ए) तथा परिणामी वरिष्ठता/रिक्तियों के विषय में अनुच्छेद 16(4बी) का उल्लेख आता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटों से संबंधित अनुच्छेद 330 और 332 तथा प्रशासनिक दक्षता के साथ एससी/एसटी दावों के संबंध में अनुच्छेद 335 प्रासंगिक हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को एससी/एसटी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल से बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

5.4 क्रीमी लेयर की परिभाषा

क्रीमी लेयर उस अपेक्षाकृत उन्नत हिस्से या व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त अवधारणा है जिन्हें आरक्षण के लाभों से इसलिए अलग रखा जाता है कि अवसर समुदाय के अधिक वंचित सदस्यों तक भी पहुँचें। ओबीसी आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को बाहर रखने के सिद्धांत को मान्यता दी। यह अवधारणा सामान्य गरीबी–रेखा का पर्याय नहीं है; इसमें पारिवारिक आय के अलावा माता–पिता का पद, पेशागत स्थिति और अन्य अधिसूचित मानदंड भी भूमिका निभा सकते हैं। एससी/एसटी पर यही कसौटी उसी रूप में लागू कर देना सरल या स्वतःसिद्ध कदम नहीं है। यहाँ आरक्षण का औचित्य ऐतिहासिक जाति–आधारित बहिष्करण, अस्पृश्यता, जनजातीय वंचना और प्रतिनिधित्व के संरचनात्मक अंतर से भी जुड़ा है। इसलिए एससी/एसटी के लिए क्रीमी लेयर पर चर्चा करते समय यह पूछना जरूरी है कि किस प्रयोजनकृप्रारंभिक नियुक्ति, पदोन्नति, शिक्षा या किसी उप–वर्ग के भीतर अवसर–वितरणकृके लिए और किन विधिक आधारों पर मानदंड प्रस्तावित किया जा रहा है।

6. संवैधानिक एवं न्यायिक ढाँचा

अनुच्छेद 14 समानता और उचित वर्गीकरण के सिद्धांत को, अनुच्छेद 15 भेदभाव–निषेध तथा कुछ परिस्थितियों में विशेष प्रावधानों को और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के साथ आरक्षण संबंधी व्यवस्था को आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 341 और 342 एससी/एसटी सूचियों की अधिसूचना तथा परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

न्यायिक विकास में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर सिद्धांत के लिए प्रमुख है। एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) ने पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधनों और आवश्यक शर्तों का परीक्षण किया। जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता (2018) ने पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में क्रीमी लेयर सिद्धांत की प्रासंगिकता पर विचार किया तथा एससी/एसटी की पिछड़ेपन को अलग से मात्रात्मक रूप में सिद्ध करने की पूर्व शर्त के संबंध में नागराज के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया।

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024 आईएनएससी 562) का प्रमुख निष्कर्ष यह था कि अनुसूचित जातियों के भीतर उप–वर्गीकरण संविधानतः निषिद्ध नहीं है; राज्य ऐसा कदम अनुभवजन्य आँकड़ों, तर्कसंगत आधार और संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप उठा सकता है। इस निर्णय ने ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2005) में अपनाए गए उप–वर्गीकरण पर

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण को पलट दिया। निर्णय में न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की राय और कुछ सहमति–रायों ने एससी/एसटी के संदर्भ में क्रीमी लेयर पर भी विचार किया। फिर भी उप–वर्गीकरण और क्रीमी लेयर अलग उपाय हैं: पहला समूहों के बीच आरक्षण के लाभों के आंतरिक वितरण पर केंद्रित हो सकता है, जबकि दूसरा अपेक्षाकृत उन्नत व्यक्तियों/परिवारों को लाभ से बाहर करने की ओर जाता है। निर्णय ने पूरे देश के लिए स्वतः लागू होने वाली, आय–सीमा सहित एक प्रशासनिक पहचान–प्रणाली निर्धारित नहीं की।

वर्तमान स्थिति की व्याख्या में 11 फरवरी 2025 के लोकसभा उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि दविंदर सिंह का 1 अगस्त 2024 का आदेश अनुसूचित जातियों के भीतर उप–वर्गीकरण से संबंधित है और उस समय क्रीमी लेयर ओबीसी पर लागू थी (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 2025)। अगस्त 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर प्रतिउत्तर में एससी/एसटी के लिए सामान्य क्रीमी लेयर विस्तार का विरोध किया और ऐतिहासिक वंचना को केवल आर्थिक स्थिति से न मापने का तर्क दिया (भल्ला, 2026)। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन की तारीख 14 अक्टूबर 2026 तक, एससी/एसटी पर व्यापक क्रीमी लेयर लागू करने का प्रश्न विवादग्रस्त है; संबंधित न्यायिक टिप्पणियों, सरकार के रुख और किसी विशिष्ट सेवा/राज्य के लागू नियमों में अंतर करना आवश्यक है। किसी नीति को वास्तविक रूप में लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट नियम, प्रयोजन–विशिष्ट मानदंड, सत्यापन और अपील की प्रक्रिया अपेक्षित होगी।

7. वर्तमान परिप्रेक्ष्य : पक्ष, विपक्ष और संवैधानिक संतुलन

7.1 क्रीमी लेयर के पक्ष में तर्क

क्रीमी लेयर के समर्थक मानते हैं कि आरक्षण के भीतर भी शिक्षा, आय, सामाजिक संपर्क, पद और सूचना तक पहुँच में गहरे अंतर होते हैं। जिन परिवारों को पहले ही कई पीढ़ियों तक उच्च शिक्षा या सरकारी सेवा का लाभ मिल चुका है, उनके लगातार चयनित होने से कुछ अन्य उपसमूहों तक अवसर कम पहुँचते हैं। यदि उपलब्ध अवसरों का वितरण समान समुदाय के भीतर ही संकेंद्रित हो, तो आरक्षण की पुनर्वितरणात्मक क्षमता कम होती है। इन चिंताओं के आधार पर लाभार्थियों के वितरण की नियमित समीक्षा, उप–वर्गीय प्रतिनिधित्व का लेखा–जोखा और सबसे वंचित समूहों के लिए अतिरिक्त सहायता न्यायसंगत प्रश्न हैं।

इस पक्ष का मजबूत रूप यह नहीं कि हर आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति भेदभाव से मुक्त हो गया, बल्कि यह कि सामाजिक वंचना के भीतर भी लाभों का असमान वितरण प्रमाणित हो तो उस असमानता को संबोधित करने के लिए उचित, आनुपातिक और संविधान–संगत साधन खोजे जाएँ।

7.2 क्रीमी लेयर के विरुद्ध तर्क

विरोधी पक्ष यह रेखांकित करता है कि एससी/एसटी आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। कोई अनुसूचित जाति का परिवार आर्थिक रूप से उन्नत होने पर भी जातिगत पूर्वाग्रह या सामाजिक दूरी का अनुभव करता है। इसी प्रकार किसी जनजातीय परिवार

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

की आय बढ़ने से भाषा–सांस्कृतिक हाशियाकरण, दूरस्थ क्षेत्र में विद्यालय/स्वास्थ्य सुविधा की कमी, भूमि–विस्थापन या संस्थागत प्रतिनिधित्व की समस्या अपने–आप समाप्त नहीं होती। यदि किसी सामान्य आय–सीमा को सामाजिक मुक्ति का पर्याय मान लिया जाए, तो नीति वास्तविक भेदभाव को अदृश्य कर सकती है।

क्रीमी लेयर का अस्पष्ट या जल्दबाजी में बनाया गया ढाँचा भी प्रशासनिक मनमानी, प्रमाणपत्र–विवाद, कानूनी मुकदमेबाजी और समुदायों के भीतर नए विभाजन का कारण बना है। विशेष रूप से पदोन्नति में आरक्षण का उद्देश्य केवल नियुक्ति के बाद वेतन की स्थिति देखना नहीं, बल्कि वरिष्ठ प्रशासनिक पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और संस्थागत बाधाओं का परीक्षण भी है। रामुडू (2015) का तर्क है कि समुदाय के भीतर उभरा नेतृत्व और मध्यवर्गीय क्षमता सामाजिक आवाज़, कानूनी सहायता तथा अन्य सदस्यों के लिए प्रेरणा भी प्रदान कर सकती है। अतः लाभार्थियों के आर्थिक उन्नयन को समुदाय की साझा सामाजिक प्रगति से अलग करके नहीं देखना चाहिए।

7.3 उप–वर्गीकरण और क्रीमी लेयर में अंतर

उप–वर्गीकरण का उद्देश्य आरक्षित समुदाय के अलग–अलग उपसमूहों के बीच अवसर–वितरण में असमानता का पता लगाकर कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को लक्षित समर्थन देना है। क्रीमी लेयर का उद्देश्य कुछ उन्नत लाभार्थियों को पात्रता से बाहर करना है। उप–वर्गीकरण के लिए उपसमूहों की स्थिति, प्रतिनिधित्व और वंचना के तुलनीय आँकड़े आवश्यक हैं; क्रीमी लेयर में व्यक्ति/परिवार की उन्नति की पहचान हेतु मानदंड, समयावधि और प्रमाण–पद्धति की जरूरत होगी। दोनों को एक ही नीति–शब्द मानकर चलने से उद्देश्य और कानूनी परीक्षण की स्पष्टता प्रभावित होगी। दविंदर सिंह निर्णय उप–वर्गीकरण पर विशेष रूप से प्रासंगिक है; इससे स्वतः यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कि प्रत्येक एससी/एसटी लाभार्थी पर ओबीसी का मौजूदा आय–आधारित परीक्षण हूबहू लागू हो गया है।

8. समंक विश्लेषण : मध्यप्रदेश के संदर्भ में

तालिका 1

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (जनगणना 2011)

वर्ग	जनसंख्या	राज्य की कुल जनसंख्या में हिस्सा
कुल राज्य जनसंख्या	7,26,26,809	100.00%
अनुसूचित जाति (एससी)	1,13,42,320	15.62%
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	1,53,16,784	लगभग 21.09%
एससी और एसटी का संयुक्त योग	2,66,59,104	लगभग 36.71%

स्रोत– जनसंख्या जनगणना 2011: मध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तालिका, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

जनगणना–आधारित आँकड़ों में एससी और एसटी की संयुक्त आबादी राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 36.71 प्रतिशत के बराबर है। इससे पता चलता है कि इन समुदायों से संबंधित शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व की नीतियाँ मध्यप्रदेश के सामाजिक विकास के लिए केंद्रीय महत्त्व रखती हैं। पर जनसंख्या का हिस्सा यह नहीं बताता कि समुदाय के भीतर कौन–सा समूह कितनी बार आरक्षण लाभ प्राप्त करता है।

तालिका 2

मध्यप्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटें

विवरण	सीटों की संख्या	कुल 230 सीटों में प्रतिशत
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित	35	15.22%
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित	47	20.43%
कुल आरक्षित सीटें	82	35.65%
अनारक्षित सीटें	148	64.35%
कुल विधानसभा सीटें	230	100.00%

स्रोत– जनसंख्या जनगणना 2011: मध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तालिका, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

निर्वाचन आयोग के 2023 के विधानसभा चुनाव संबंधी आँकड़ों में 230 सीटों में से 35 एससी और 47 एसटी के लिए आरक्षित बताई गई हैं। संयुक्त रूप से 82 सीटें राज्य विधानसभा की लगभग 35.65 प्रतिशत सीटों के बराबर हैं। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व की संरचना का एक संकेतक है।

तालिका 3

प्रमुख न्यायिक विकास और नीतिगत अर्थ

वर्ष/निर्णय	मुख्य विषय	अर्थ
1992 – इंद्रा साहनी	ओबीसी आरक्षण तथा क्रीमी लेयर सिद्धांत।	क्रीमी लेयर का मूल न्यायिक संदर्भ ओबीसी है; एससी/एसटी पर सीधा विस्तार अलग प्रश्न है।
2006 – एम. नागराज	एससी/एसटी पदोन्नति आरक्षण संशोधनों की वैधता और संवैधानिक शर्तें।	प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक दक्षता और प्रमाण–आधारित परीक्षण महत्त्वपूर्ण हैं।
2018 – जरनैल सिंह	पदोन्नति आरक्षण में पूर्व विधिक कसौटी का पुनर्विचार तथा क्रीमी लेयर पर विमर्श।	नियुक्ति व पदोन्नति को समान प्रशासनिक परिस्थिति नहीं मानना चाहिए।
2024 – पंजाब	एससी में उप–वर्गीकरण की	उपसमूहों के बीच असमानता

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

राज्य बनाम दविंदर सिंह	अनुमति, अनुभवजन्य आधार की आवश्यकता।	जाँचने के लिए आँकड़ा–आधारित दृष्टिकोण खुलता है; यह क्रीमी लेयर से अलग विषय है।
2025–2026 – केंद्र का सार्वजनिक रुख	2025 के लोकसभा उत्तर में क्रीमी लेयर ओबीसी पर लागू बताई गई; 2026 में एससी/एसटी तक विस्तार का विरोध रिपोर्ट हुआ।	नीति–विषय विवादग्रस्त है; अंतिम स्थिति बताते समय निर्णय, सरकारी व्याख्या और लागू नियमों का पृथक उल्लेख जरूरी है।

9. सुझाव

- पहले आँकड़े, फिर बहिष्करण: मध्यप्रदेश सरकार को भर्ती, पदोन्नति, उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, आरक्षित रिक्तियों और उपसमूहवार लाभ–वितरण का नियमित, समेकित और गोपनीयता–सुरक्षित समंक प्रकाशित करना चाहिए। किसी भी बहिष्करण या प्राथमिकता–नीति का आधार अनुभवजन्य प्रमाण होना चाहिए, केवल सामान्य धारणा नहीं।
- उप–वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को अलग नीति–साधन मानें: **दविंदर सिंह** से उप–वर्गीकरण के संवैधानिक प्रश्न का मार्ग खुलता है, लेकिन उससे आय–आधारित क्रीमी लेयर का एक समान ढाँचा अपने–आप तय नहीं होता। सरकार को नीति–उद्देश्य स्पष्ट कर यह बताना चाहिए कि उपाय लाभों के वितरण पर है या पात्रता से बहिष्करण पर।
- आय को अकेली कसौटी न बनाएं: यदि एससी/एसटी के संदर्भ में कोई पहचान–ढाँचा विचाराधीन हो, तो आय के साथ माता–पिता का पेशा/पद, शैक्षिक संसाधन, ग्रामीण/दूरस्थ स्थिति, संपत्ति, संस्थागत प्रतिनिधित्व, पहले प्राप्त लाभ और जारी सामाजिक भेदभाव के प्रमाण को संदर्भानुकूल महत्व दिया जाए। कसौटियाँ सरल, प्रकाशित और समय–समय पर पुनरीक्षित हों।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग संकेतक विकसित करें: दोनों वर्गों की ऐतिहासिक और वर्तमान वंचना का स्वरूप एकसमान नहीं है। एससी नीति में जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता की विरासत और संस्थागत भागीदारी; एसटी नीति में क्षेत्रीय दूरी, भाषा, सांस्कृतिक स्वायत्तता, वन–भूमि, विस्थापन और सेवा–प्रवेश जैसे संकेतकों को पृथक रूप से जाँचना चाहिए।
- सबसे वंचित समूहों तक पहुँच के लिए सकारात्मक सहयोग बढ़ाएँ: छात्रवृत्ति, आवासीय शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा सहायता, मार्गदर्शन, डिजिटल संसाधन, स्वास्थ्य और स्थानीय स्तर पर शैक्षिक सुविधाएँ आरक्षण के पूरक साधन हैं। आरक्षण पात्रता पर बहस के साथ–साथ अवसर तक पहुँच बढ़ाने के उपायों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

- आरक्षित रिक्तियों और पदोन्नति की नियमित समीक्षाः विभागों को आरक्षित पदों की स्वीकृत संख्या, भरी हुई सीटें, बैकलॉग, भर्ती–वर्ष तथा पदोन्नति की स्थिति का वार्षिक विवरण प्रकाशित करना चाहिए। इससे यह ज्ञात होगा कि चुनौती लाभों के संकेंद्रण की है, पात्र अभ्यर्थियों तक पहुँच की है या प्रशासनिक देरी की।
- स्वतंत्र आयोग और सार्वजनिक परामर्शः राज्य स्तर पर विषय–विशेषज्ञों, सामाजिक न्याय संस्थानों, एससी/एसटी प्रतिनिधियों, प्रशासनिक विशेषज्ञों और अकादमिक शोधकर्ताओं की भागीदारी से समीक्षा की जाए। मसौदा मानदंड सार्वजनिक किए जाएँ, आपत्तियों के लिए समय दिया जाए और अंतिम निर्णय के कारण स्पष्ट लिखे जाएँ।
- न्यायसंगत अपील और प्रमाणपत्र सत्यापनः किसी व्यक्ति को आरक्षण लाभ से वंचित करने से पहले कारण बताओ नोटिस, निष्पक्ष सुनवाई, अपील और न्यायिक समीक्षा का प्रभावी मार्ग होना चाहिए। पारिवारिक आय या पद–संबंधी समंक में त्रुटि के कारण पात्र लाभार्थी को स्थायी नुकसान नहीं होना चाहिए।
- आरक्षित पदों का अनारक्षित वर्ग में स्थानांतरण स्वतः न होः रिक्तियों की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, पुनर्विज्ञापन और पात्र अभ्यर्थियों तक सूचना पहुँचाने की समयबद्ध प्रक्रिया हो। बहिष्करण–नीति से यदि पद खाली रह जाएँ, तो उसके प्रभाव का पूर्व–आकलन और समीक्षा अनिवार्य हो।
- प्रत्येक तीन से पाँच वर्ष में नीति–मूल्यांकनः सामाजिक स्थिति, शिक्षा, प्रतिनिधित्व और भर्ती के बदलते आँकड़ों के आधार पर नीति की समीक्षा की जाए। समीक्षा का लक्ष्य आरक्षण समाप्ति की पूर्वधारणा नहीं, बल्कि लाभों का अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी वितरण होना चाहिए।

10. उपसंहार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रश्न केवल आय, पद या परिवार की आर्थिक स्थिति पर आधारित प्रशासनिक निर्णय नहीं है। यह प्रश्न उस संवैधानिक उद्देश्य से जुड़ा है जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक बहिष्करण को कम करके सामाजिक सम्मान, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। काकोटी लाभों के अधिक न्यायपूर्ण वितरण की चिंता के साथ सावधान, संदर्भ–विशिष्ट नीति का आग्रह करती हैं; प्रधान और साहू बहुआयामी, आँकड़ा–आधारित मूल्यांकन तथा उप–वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के अंतर को रेखांकित करते हैं; त्ंउनकन संभावित बहिष्करण, सामाजिक नेतृत्व और सामुदायिक एकजुटता पर पड़ने वाले प्रभावों को सामने लाते हैं। इन तर्कों का संयुक्त अध्ययन बताता है कि न तो अंतर्वर्गीय असमानता की समस्या की उपेक्षा की जानी चाहिए, न ही आर्थिक उन्नति को भेदभाव की समाप्ति का निर्णायक प्रमाण मान लेना चाहिए।

मध्यप्रदेश के उपलब्ध आधिकारिक आँकड़े एससी/एसटी समुदायों की बड़ी जनसांख्यिकीय उपस्थिति और राज्य की विधानसभा में उनके संवैधानिक प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करते हैं। लेकिन ये आँकड़े यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं कि आरक्षण के लाभ किस उपसमूह में

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

केंद्रित हैं। इसके लिए भर्ती, पदोन्नति, शैक्षणिक प्रवेश, छात्रवृत्ति, रिक्तियों और लाभार्थियों के वितरण के अधिक विस्तृत तथा नियमित रूप से प्रकाशित आँकड़े आवश्यक हैं। अगस्त 2024 का दविंदर सिंह निर्णय उप–वर्गीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आधार देता है, जबकि एससी/एसटी के लिए क्रीमी लेयर के व्यापक और एकसमान क्रियान्वयन का प्रश्न न्यायिक एवं नीतिगत बहस का विषय बना हुआ है।

अतः इस शोध का निष्कर्ष यह है कि मध्यप्रदेश के लिए उपयुक्त दिशा "एक ही आय–सीमा सभी पर लागू करने" या "समुदाय के भीतर की असमानता को पूरी तरह नकारने" में से कोई एक नहीं है। अधिक न्यायसंगत विकल्प एक चरणबद्ध और प्रमाण–आधारित ढाँचा है: पहले राज्यव्यापी और उपसमूह–स्तरीय समंक का निर्माण; फिर प्रतिनिधित्व एवं वास्तविक वंचना की स्वतंत्र समीक्षा; एससी और एसटी की अलग परिस्थितियों के अनुरूप संकेतक; प्रभावित समुदायों से परामर्श; स्पष्ट विधिक प्राधिकार; और निष्पक्ष अपील व्यवस्था। इस प्रकार आरक्षण की मूल भावना ''ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार और समान नागरिक भागीदारी'' को बनाए रखते हुए समुदाय के भीतर लाभों के अधिक न्यायपूर्ण वितरण की संभावना बढ़ाई जा सकती है।

12. अध्ययन की सीमाएँ एवं आगे के शोध की दिशा

यह शोधपत्र तीन उपलब्ध लेखों, संवैधानिक स्रोतों, न्यायिक निर्णयों और प्रकाशित आधिकारिक आँकड़ों पर आधारित है। इसमें मध्यप्रदेश के किसी जिले में प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, और 2011 की जनगणना वर्तमान पारिवारिक आय या रोजगार की स्थिति नहीं बताती। विधानसभा की आरक्षित सीटों का आँकड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकेतक है, सरकारी सेवा अथवा उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व का प्रत्यक्ष माप नहीं। इसलिए यहाँ प्रस्तुत तालिकाओं से क्रीमी लेयर के वास्तविक प्रभाव या लाभ–संकेंद्रण का कारणात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला गया।

संदर्भ सूची

1. Bhalla, V. (2026, August 11). Why Centre says "creamy layer" cannot apply to SC/ST quotas. The Indian Express. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-st-creamy-layer-centre-supreme-court-reservation-10825769/
2. Constitution of India. (1950). Articles 14–16, 46, 330, 332, 335, 341, 342, 366(24)–(25). Legislative Department, Government of India. https://legislative.gov.in/constitution-of-india/
3. Election Commission of India. (2023, October 9). General election to Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2023: Press note. https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzX%2FLARKC1lI3JwqUiIIk3e1utfj4ZXmS4fSdLizWg8zYJK%2F7XImS4x4KRPNj1%2BEG%2F
4. Indra Sawhney v. Union of India, 1992 Supp. (3) SCC 217 (Supreme Court of India 1992).
5. Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta, (2018) 10 SCC 396 (Supreme Court of India 2018).
6. Kakoti, S. (n.d.). The creamy layer and Scheduled Castes and Scheduled Tribes: A constitutional debate. Indian Journal of Integrated Research in Law, VI(II), 1710–1724.

https://ijirl.com/wp-content/uploads/2026/04/110.-THE-CREAMY-LAYER-AND-SCHEDULED-CASTES-AND-SCHEDULED-TRIBES-A-CONSTITUTIONAL-DEBATE.pdf
7. M. Nagaraj v. Union of India, (2006) 8 SCC 212 (Supreme Court of India 2006).
8. Ministry of Social Justice and Empowerment. (2025, February 11). Quota for reservation (Lok Sabha Unstarred Question No. 1180). Government of India. https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU1180_UAioEY.pdf?source=pqals
9. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. (2011). Population Census 2011: Scheduled Castes and Scheduled Tribes population tables for Madhya Pradesh. Ministry of Home Affairs, Government of India. https://censusindia.gov.in/
10. Pradhan, P., & Sahoo, S. (2026). Beyond formal equality: Recalibrating the creamy layer doctrine in India's constitutional framework of reservation. International Journal of Legal Science and Innovation, 8(1), 50–70. https://doi.org/10.63108/IJLSI.7001
11. Ramudu, S. (2015). Creamy layer implications for SCs and STs. Journal of Research in Humanities and Social Science, 3(5), 65–69. https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol3-issue5/L03056569.pdf
12. State of Punjab v. Davinder Singh, 2024 INSC 562 (Supreme Court of India 2024). https://indiankanoon.org/doc/155595286/
13. E. V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh, (2005) 1 SCC 394 (Supreme Court of India 2005).